उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 28 (स्वी०), दिनांक 10.05.2018 एवं आवंटनदेश ज्ञापांक 04(आ०), दिनांक 18.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत **मो० 309.16000 लाख रू०** का आवंटन प्राप्त हुआ है।

2. दिनांक 11.05.2018 को आहुत जिला योजना समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञपांक 229/जि०यो०, दिनांक 22.05.2018 में **पुल/पुलिया प्रक्षेत्र** की निम्नलिखित योजनाओं के अनुमोदनोपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 620, दिनांक 05.06.2018 एवं पत्रांक 719, दिनांक 02.07.2018 के द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर कॉलम– 03 में योजनावार दी गई तकनीकी स्वीकृति अर्थात कुल तकनीकी स्वीकृति मो० 54.08300 लाख रू० के आलोक में योजना कार्यान्वयन हेतु कॉलम–4 में वर्णित कुल 02 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए समेकित रूप से कुल **मो० 54.08300 लाख रू०** की स्वीकृति दी जाती है, तथा कुल प्रशासनिक स्वीकृति का **50 प्रतिशत यानि मो० 27.04150 लाख रू०** (सताईस लाख चार हजार एक सौ पचास रू० मात्र) (कॉलम–5 के अनुसार) अग्रिम स्वरूप कार्यकारी एजेंसी को उपावंटित किया जाता है । योजना विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	कुल तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	उपावंटित राशि (50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	प्रखंड चन्दवा, पंचायत जमीरा के ग्राम रोल में जामुनगढ़ा नाला पर पुलिया निर्माण।	27.04700	27.04700	13.52350
2	प्रखंड बालूमाथ, पंचायत धाधू के ग्राम भैंसादोन में मकईयाटांड़ से धाधू जाने वाली पथ में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण।	27.03600	27.03600	13.51800
	कुल	**54.08300**	**54.08300**	**27.04150**

(सताईस लाख चार हज़ार एक सौ पचास रू० मात्र)

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार को कार्यकारी एजेंसी मनोनीत किया जाता है, जो विभागीय नियम के आलोक में निविदा के माध्यम से तथा प्राक्कलन के विशिष्टयों के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना व्यय (विस्तृत) मांग संख्या 35 योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) मुख्यशीर्ष 2053 जिला प्रशासन, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 11 जिला योजना के लिये अनाबद्ध राशि State Scheme- State plan Untied Fund (0385) विस्तृत शीर्ष 07 अन्य व्यय 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 35P205300796110759 में प्राप्त आवंटन **मो० 309.16000 लाख रू०** में से योजना के कार्यान्वयन हेतु **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार** को कॉलम संख्या–4 में उपावंटित राशि **मो० 27.04150 लाख रू० (सताईस लाख चार हजार एक सौ पचास रू० मात्र)** उनके कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत योजना का निर्माण विनिर्दिष्ट स्थान पर ही कराया जायेगा। कार्यकारी ऐजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार संबंधित अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर योजना स्थल से संबंधित भूमि प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। साथ ही भूमि विवाद का समाधान योजना के कार्यान्वयन के पूर्व ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। योजना प्रारंम्भ होने के पश्चात् किसी भी प्रकार के जमीन संबंधी विवाद होने की स्थिति में कार्यकारी ऐजेंसी को ही पूर्णतः जवाबदेह माना जायेगा।

6. कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मापीपुस्त की सत्यापित प्रति, फोटोग्राफ, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण प्रमाण पत्र तथा स्वंय स्थलीय जांच प्रतिवेदन निश्चित रूप से कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना कार्यरम्भ के पूर्व Zero level photograph एवं पूर्ण होने के पश्चात् योजना की फोटोग्राफ कराकर कार्यकारी एजेंसी द्वारा इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

8. कार्य के संबंध में संबंधित सामग्रीयों के क्रय उनकी गुणवत्ता को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रसंगाधीन नियमों यथा PWD कोड के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

9. योजना में व्यवहृत सामग्रीयों के विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती विपत्र से किया जायेगा। तथा कटौती की गयी राशि को जिला कोषागार, लातेहार में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार योजना के गुणवत्ता के लिए पूर्ण जवाबदेह होंगे तथा कार्यकारी एजेंसी यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप है।

11. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में यदि किसी प्रकार की राशि का विचलन अथवा बिना कार्य के राशि की अभिश्रव निकासी अथवा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न होने पर कार्यकारी एजेंसी के विरूद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

12. कार्यकारी एजेंसी योजना के निविदा के पश्चात् संवेदक के साथ एकरारनामा की प्रति एवं एकरारित राशि के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन अधोरताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही एकरारित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा।

13. कार्यकारी एजेंसी प्रत्येक माह के 2री तिथि तक योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– 355 /जि०यो०, दिनांक :– 26/07/2018

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), /ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– 355 /जि०यो०, दिनांक :– 26/07/2018

प्रतिलिपि :– 1. कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार को **मो० 27.04150 लाख रू० (सताईस लाख चार हजार एक सौ पचास रू० मात्र)** की राशि कोषागार डिपोजिट शीर्ष में अंतरण करने हेतु विपत्र तैयार कर उपस्थापित करें।

3. संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, लातेहार–जिला/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला–लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

4. जिला कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।